

# कयर. बोर्ड कर्मचारी

## COIR BOARD EMPLOYEES

(आचरण) उपनियम, 1968  
(CONDUCT) BYE - LAWS, 1968



कयर बोर्ड  
**COIR BOARD**  
(भारत सरकार)  
(GOVERNMENT OF INDIA)  
एरणाकुलम, कोच्ची-682 016  
ERNAKULAM, KOCHI-682 016

## कायर बोर्ड

कर्मचारी (आचरण) उपनियम, 1968

एस. ओ. संख्या 1781, तारीख 2 मई 1986

एस. ओ. संख्या 3491, तारीख 1 - 9 - 76

(उप नियम 13 के दहेज शामिल किया गया )

कायर बोर्ड कोचिन - 16

## क्यर बोर्ड कर्मचारी (आचरण) उपनियम, 1968

### 1. लघुशीर्षक, प्रारम्भण और अनुप्रयोग :

1. इन उप-नियमों को क्यर बोर्ड कर्मचारी (आचरण) उपनियम, 1968 कहा जाएगा ।
2. ये उप-नियम तत्काल लागू होंगे ।
3. ये उप-नियम बोर्ड द्वारा क्यर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त सभी व्यक्तियों और केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उधार दिए गए कर्मचारी पर भी लागू होंगे ।

लेकिन बोर्ड भारत सरकार की सहमती से, श्रेणी (ग) या श्रेणी (घ) से सम्बद्धित कर्मचारियों के वर्ग या वर्ग को इन नियमों ने से किसी भी नियम के लागू किए जाने से छुट दे सकता है ।

### 2. परिभाषण :

यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो इन-उप नियमों में —

- क) 'अधिनियम' से तात्पर्य है क्यर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45)
- ख) 'बोर्ड' से तात्पर्य है अधिमियम की धारा 4 के अधीम स्थापित क्यर बोर्ड
- ग) 'कर्मचारी' से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन क्यर बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति ऐर केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति
- घ) किसी कर्मचारी के संबन्ध में 'परिवार के सदस्यों' में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे।
  - 1.) कर्मचारी की, यथास्थिति, पत्नि या पति, चाहे वह कर्मचारी के साथ रह रही / रहा हो या नहीं, किन्तु इसमें यथास्थिति ऐसी पत्नि या पति शामिल नहीं होगी / होगा जो विधिक कार्यविधी या समक्ष न्यायालय के आदेश का अधीन कर्मचारी से अलग हो चुकी/ चुका हों
  - 2) कर्मचारी का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो पूरी तरह से कर्मचारी पर आश्रित हो किन्तु इसमें कर्मचारी की ऐसी सन्तान या सौतेली सन्तान शामिल नहीं होगी जो अब कर्मचारी पर किसी प्रकार से आश्रित न रही हो या जिसकी अभिरक्षा से कर्मचारी को किसी विधी के द्वारा या उसके अधीन वंचित कर दिया गया हो ।
  - 3) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसका कर्मचारी की पत्नी या पति से खून का संबन्ध हो या विवाह द्वारा सम्बन्ध हो और वह पूरी तरह से कर्मचारी पर आश्रित हो ।

ड 'अध्यक्ष' से तात्पर्य है बोर्ड का अध्यक्ष ।

च 'सरकार' से तात्पर्य है केन्द्रीय सरकार ।

छ 'विहित प्राधिकारी' से तात्पर्य है -

क (१) यदि बोर्ड द्वारा किसी अवर-अधिकारी को किसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो तो श्रेणी (१) के किसी कर्मचारी के मामले में बोर्ड II श्रेणी (ख) और श्रेणी (ग) के किसी भी पद के बुसी कर्मचारी के मामले में अद्यक्ष ।

III श्रेणी (घ) के किसी पद के किसी कर्मचारी के मामले में सचिव ।

(ख) विदेश सेवा पर या किसी अन्य कार्यालय या किसी अन्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले किसी कर्मचारी के सम्बद्ध में अद्यक्ष ।

### स्पष्टिकरण

समूह क, समूह ख, समूह ग, समूह घ, पदों से वे पद अभिप्रेता होगी जिनका वर्णन निम्नलिखित होगा ।

क. स.	पदों का वर्णन	पदों का वर्गीकरण
1.	कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 4000- रु. से कम नहीं है	समूह - क
2.	कोई पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 2,900- रु. से कम नहीं है किन्तु 4000 - रु. से कम है	समूह - ख
3.क	कोई पद जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 1,150- रु. से अधिक है किन्तु 2,900- रु कम है	समूह - ग

4. कोई पद जिसका  
अधिकतम वेतन या  
वेतनमान 1,150- रु. या उसके समूह - घ  
कम हैं ।

का . आ 527 (अ) दिनांकित 5.7. 1989 द्वारा प्रतिस्थापित

### 3 सामान्य :

- 1 प्रत्येक कर्मचारी सदैव
  - i) पूर्ण सत्यानिष्ठा बनाए रखेगा ।
  - ii) कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखेगा ।
  - iii) ऐसे कोई काम नहीं करेगा जो कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो ।
  - iv) कार्यालय के अन्दर तथा कार्यालय से बाहर भी पूर्ण अनुशासन बनाए रखेगा ।
  - v) वरिष्ठ प्राधिकारियों के आदाशों को मानेगा ।
  - vi) आकस्मिक छूट्टी के सिवाया अन्य सभी प्रकार कि छुट्टी उसे मंजूर करा लेने के बाद ही लेगा ।
  - vii) पहले से मंजूर की गई छूट्टी के समाप्त होने पर कार्यभार ग्रहण करेगा ।
  - viii) उपस्थिति में नियमित और समय का पाबन्द रहेगा ।

### स्पष्टीकरण

यदि इस प्रश्न के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो कि किसी विशेष कर्मचारी ने इन उप-नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन किया है या नहीं तो उसका निर्णय विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

2. i) पर्यवेक्षी पद पर कार्य कर रहा प्रत्येक कर्मचारी यह सुनिश्चित करने लिए सभी संभव उपाय करेगा कि तत्समय उसके नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन सभी कर्मचारी सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा बरतें ।
- ii) कोई भी कर्मचारी अपने सरकारी कर्तव्यों के लिए या उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सिवाय उस स्थिति के जब वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के निदेशों के अधीन कार्य कर रहा हो, अपने सर्वेतम निर्णय से अन्यथा कार्य नहीं करेगा । जब वह ऐसे निदेशों के अधीन कार्य करेगा तो जहां व्यवहार्य हो वहां लिखित, में निदेश प्राप्त करेगा और जहां लिखित में निदेश प्राप्त करना व्यवहार्य न हो वहां उस कार्य को करने के बाद यथाशीघ्र उक्त निदेश की लिखित पूर्ण प्राप्त करेगा ।

## स्पष्टीकरण :-

खंड (2) (ii) में उल्लिखित किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि जहां शक्तियों और दायित्वों के वितरण की योजना के अधीन वरिष्ठ अधिकारी या प्रधिकारी से अनुदेश या अनुमोदन लेना आवश्यक न हो वहां किसी कर्मचारी को ऐसे अनुदेश या अनुमोदन प्राप्त करने से अपने से दायित्व से बचने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी।

बोर्ड के संरक्षण का लाभ उठा कर कर्मचारी के निकट संबंधियों का गैर सरकारी उपक्रमों में नियोजन करना।

1. कोई भी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी गैर सरकारी उपक्रम में रोजगार दिलाने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने ओहदे या प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा।
2. (i) श्रेणी (क) का कोई भी अधिकारी, बोर्ड की पुर्व मंजुरी लिए बिना अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रित व्यक्ति को किसी गैर सरकारी उपक्रम में जिसके साथ उसका सरकारी लेन देन है या किसी अन्य उपक्रम में जिनका बोर्ड के साथ सरकारी लेन देन है, नियोजन स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

लेकिन यदि नियोजन स्वीकृति इतनी शीघ्र देनी हो की बोर्ड की पुर्व अनुमति न ली जा सके या अन्यथा ऐसा करना अत्यावश्यक समझा जाए तो ऐसा मामला बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड की अनुमति मिलने की शर्त के अधीन नियोजन अस्थायी रूप से स्वीकार किया जा सकता है।

(ii) कर्मचारी, अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी गैर सरकारी उपक्रम में नियोजन को स्वीकार करने का पता चलते ही ऐसी स्वीकृति के संबंध में विहित प्रधिकारी की सूचित करेगा और यह भी सूचित करेगा कि उक्त उपक्रम के साथ उसका कोई सरकारी लेनदेन है या नहीं।

लेकिन श्रेणी (ii) के अधिकारी के मामले में, यदि उसके खंड (i) के अधिन पहले भी बोर्ड की मंजुरी ले ली हो या बोर्ड को रिपोर्ट भेज दी हो, ऐसी कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

3. कोई भी कर्मचारी, अपने सरकारी कार्य के निष्पादन में ऐसे किसी मामले के संबंध में कार्रवाई नहीं करेगा या किसी उपक्रम या किसी अन्य व्यक्ति को उस स्थिति में कोई ठेका नहीं देगा या उसकी व्यक्ति के अधीन नियोजित हो या वह या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य तरिके से ऐसे मामले या संविदा में दिलचस्पी ले रहा हो तो कर्मचारी प्रत्येक ऐसे मामले या ठेके को अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास भेज देगा। उनके बाद उक्त मामले या ठेके का निपटान उस प्रधिकारी के अनुसार किया जाएगा जिसे वह भेजा गया है।

## 5. राजनीति और चुनावों में भाग लेना:

1. कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का सदस्य नहीं बनेगा जो राजनीति में भाग लेता हो या अपने आप को अन्यथा उससे सम्बन्ध नहीं करेगा और न ही वह किसी राजनीतिक आन्दोलन या गतिविधि में भाग लेगा, उसकी सहायता के लिए अंशदान करेगा या अन्य किसी तरीके से उसकी सहायता करेगा।
2. जैसा कि उप-नियम में उल्लेख किया गया है प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या गतिविधि में भाग लेने, उसकी सहायता के लिए अंशदान करने या अन्य किसी तरीके से उसकी सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार विरोधी हो या हो सकती हो। यदि कोई कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे किसी आन्दोलन या गतिविधि में भाग लेने, उसकी सहायता के लिए अंशदान करने या अन्य किसी तरीके से उसकी सहायता करने से रोकने में असमर्थ हो, वह बोर्ड को इस आशय की सुचना देगा।

यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई दल राजनीतिक दल है या नहीं या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या नहीं या कोई आन्दोलन या गतिविधि खंड (2) को परिधि में आति है या नहीं, तो उस पर बोर्ड द्वारा दिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा।

3. (4) कोई भी कर्मचारी कीसी विधानमंडल या स्थानीय प्रधिकरण के चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेग या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा या उसके सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा।

लेकिन (1) यदि कोई कर्मचारी ऐसे चुनाव में मत दान करने के लिए योग्य हों तो वह मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन यदि वह मतदान करेग तो वह जिस तरीके से मतदान करना चाहता हो या उसने मतदान किया हो उसके सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं देगा।

4. (ii) यदि कर्मचारी, तत्समय लागू किसी विधि के द्वारा या उसके अधिन उसे सौंपे गए कर्तव्यों के उचित निष्पादन में किसी चुनाव के संचालन में सहायता करता है, तो केवल इस कारण से यह नहीं समझ लिया जाएगा कि उसने इस खंड के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

## स्पष्टीकरण :

यदि कोई कर्मचारी स्वयं पर, अपने वाहन या निवास स्थान पर किसी चुनाव का प्रदर्शन करेगा तो इस खंड के अर्थ के अन्तर्गत यह माना जाएगा कि उसके चुनाव के सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग किया है।

## 6. बोर्ड के कर्मचारियों का संस्थाओं में शामिल होना

कोई भी कर्मचारी किसी ऐसी संस्था में शामिल नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं बना रहेंगा जिसके उद्देश्य या गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता या सार्वजनिक, सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के हित के प्रतिकूल हों ।

## 7. प्रदर्शन और हड़ताले :

कोई भी कर्मचारी (1) ऐसे किसी संस्था में शामिल नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं लेगा जो भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था की मर्यादा या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हो या जिससे न्यायालय की अबमानना होती हो या किसी की मानहानि होती हो या किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो ।

(ii) अपनी सेवा या अन्य किसी कर्मचारी की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में हड़ताल का हमला नहीं लेगा किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की हड़ताल करने के लिए नहीं उकसाएगा ।

## 8. समाचारपत्र या रेडियो से सम्बन्ध ;

1. कोई कर्मचारी, अध्यक्ष की पुर्व मंजुरी लिए बिना किसी समाचारपत्र या अन्य किसी आवधिक प्रकाशन का पुर्णतः या अंशतः स्वामित्व गृहण नहीं करेगा या उसका संचालन नहीं करेगा या उसके सम्पादन या प्रबन्ध में नहीं लेगा ।

2. कोई भी कर्मचारी, अध्यक्ष अथवा विहित प्राधिकारी की पुर्व मंजुरी किए बिना या अपने कर्तव्यों के वास्तविक निर्वहन की स्थिति को छोड़कर ।

(क) कोई भी पुस्तक स्वयं नहीं छापेगा या प्रकाशक के माध्यम से नहीं छपवाएगा, किसी पुस्तक में या किसी लेख-संग्रह में कोई लेख नहीं देगा, या

(ख) किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम रूप से या छटुमनाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी समाचार पत्र में लेख नहीं देगा या पत्र नहीं लिखेगा लेकिन निम्नलिखित स्थितियों में ऐसी कोई मंजुरी लेनी अपेक्षित नहीं होगी -

(i) यदि ऐसा प्रकाशन प्रकाशक के माध्यम से किया जाए और यह पुर्ण रूप से साहित्यिक कलात्मक या वैज्ञानिक किसी का हो, या

(ii) यदि ऐसा योगदान, प्रहारण अथवा लेखन पुर्ण रूप से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक किसी का हो ।

## 9 बोर्ड या सरकार की आलोचना

कोई भी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या अपने नाम सा या गुमनाम रूप से या छद्मनाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या समाचारपत्र को भेजे गए किसी पत्र में या किसी सार्वजनिक भाषण में ऐसे तथा का उल्लेख नहीं करेगा या ऐसा मत व्यक्त नहीं करेगा -

- (i) जिसका बोर्ड केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की किसी चालु या हाल की नीति या कार्य पर प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रभाव पड़ता हो ।
- (ii) जिससे बोर्ड, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के सम्बन्ध बिगड़ सकते हो ।
- (iii) जिससे बोर्ड, केन्द्रीय सरकार या किसी विदेशी राज्य की सरकार के बीच सम्बन्ध बिगड़ सकते हो

लेकिन इस उप-नियम में उल्लिखित कोई भी बात कर्मचारी द्वारा उसकी सरकारी हैसियत में या उसे सौंपे गए कर्तव्य के यथोचित निष्पादन में दिए गए किसी वाक्य या व्यक्ति किए गए विचारों पर लागू नहीं होगी ।

## 10. समिति या अन्य किसी प्राधिकारी के समक्ष गवाही देना

1. खंड (3) में जैसा उपबन्धित किया गया है उसे छोड़कर, बोर्ड का कोई भी कर्मचारी, अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी लिए बिना किसी व्यक्ति समिति या प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली पूछताछ के सम्बन्ध में गवाही नहीं देगा ।
2. जहां खंड (1) के अधीन ऐसी मंजूरी दी गई हो, वहां कोई भी कर्मचारी ऐसी गवाही देके समय बोर्ड केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की नीति या कार्य की आलोचना नहीं करेगा ।
3. इस उप-नियम में उल्लिखित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी ।
  - (क) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी पूछताछ में दी गई गवाही या
  - (ख) किसी न्यायिक पूछताछ के संबंध में दी गई गवाही या
  - ग. ऐसी किसी विभागीय पूछताछ के संबंध में दी गई गवाही जिसका आदेश बोर्ड या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारीयों द्वारा दिया गया हो ।

## 11. सुतना का अनधिकृत सम्प्रेषण

कोई भी कर्मचारी ऐसी स्थिति को छोड़कर जो बोर्ड या सरकार को किसी सामान्य सा विशेष आदेश के अनुसार हो, या उसे सौंपे गए कार्यों का सदुभावपूर्वक निष्पादन

करने में किसी सरकारी दस्तावेज या उसके किसी भाग को या सुचना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य कर्मचारी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को सम्प्रेषित नहीं करेगा जिसको उसे ऐसा दस्तावेज या सुचना का सम्प्रेषण करने के लिए प्राधिकृत न किया गया हो ।

## 12. चन्दा

कोई भी कर्मचारी, अध्यक्ष या विहित प्राधिकारी की पुर्व अनुमति के बिना, किसी भी उद्देश्य के अनुसारण में किसी निधि में या नकद अथवा वस्तु के रूप में की जाने वाली अन्य वसुलियों में अंशादान के लिए नहीं कहेगा या उसे स्वीकार नहीं करेगा या ऐसा कोई चन्दा स्वयं एकत्र नहीं करेगा ।

## 13. (क) दहेज

1. कोई भी कर्मचारी दहेज नहीं लेगा या दहेज लेने के लिए नहीं उकपायगा,
2. यथा स्थिति, दुल्हन या दुल्हे के माता-पिता या अभिभावक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग नहीं करेगा ।

### स्पष्टीकरण 1

इस उप-नियम में 'दहेज' से तात्पर्य किसी भी ऐसी सम्पत्ति या मुल्यवान प्रतिभुति से है जो निम्नलिखित के द्वारा

(क) विवाह से सम्बन्धित एक पक्ष में से विवाह से सम्बन्धित दुसरे पक्ष को, अथवा  
 (ख) विवाह से सम्बन्धित दोनों में से किसी भी पक्ष के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह से सम्बन्धित दोनों में से किसी भी पक्ष को या अन्य किसी व्यक्ति को, विवाह के उक्त पक्षों के विवाह के प्रतिफलस्वरूप विवाह के समय या विवाह से पहले या उसके बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई हा तो या देने के विषय में सहमति हुई हो लेकिन इसमें उन व्यक्तियों के मामले में दिया जाने वाला दहेज या मेहर शामिल नहीं होगा जिन पर मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागु होती है ।

### स्पष्टीकरण 2

इस विषय में किसी भी संशय को दुर करने के लिए, इस के द्वारा यह घोषित किया जाता है कि विवाह से सम्बन्धित दोनों में से किसी भी पक्ष के द्वारा विवाह के सनय न दी, आभुषणों, वस्त्रों या अन्य वस्तुओं के रूप में दिए गए उपहारों को, यदि वे उक्त पक्षों के विवाह के प्रतिफलस्वरूप न दिए गए हों, इस उप नियम के अर्थ के अन्तर्गत दहेज नहीं माना जाएगा ।

### स्पष्टीकरण 3

यहां 'मुल्यवान प्रतिभुति' से बही अर्थ है जो भारतीय दडं संहिता (1860 का 450)की धारा 30 में दिया गया है ।

एस . प्रो. 3491 तारीख 1-9-76

भारत के तारीख 2 अक्टूबर 1976 के राजपत्र के भाग (ii), खंड 3, उप-खंड (ii), में प्रकाशित ।

(ii) श्रेणी (iii) के किसी पद के कर्मचारी के मामले में 250- रूपये

(iii) श्रेणी (iv) के किसी पद के कर्मचारी के मामले में 100- रूपये

3. ऐसे अवसरों पर, जिन्हे खंड (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है, कोई कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मित्रों से जिनका उसके साथ कोई सरकारी लेन देन न हो उपहार ले सकता है लेकिन यदि ऐसे किसी उपहार का मुल्य निम्नलिखित से अधिक हो तो वह बोर्ड को उसके सम्बन्ध में सुचित करेगा:

(i) श्रेणी (i)या श्रेणी (ii)के किसी पद के कर्मचारी के मामले में 200- रूपये

(ii) श्रेणी (iii) के किसी पद के कर्मचारी के मामले में 100- रूपये, और

(iii) श्रेणी (iv) के किसी पद के कर्मचारी के मामले में 50- रूपये

4. अन्य किसी मामले में कोई भी कर्मचारी अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी ऐसा उपहार स्वीकार नहीं करेग जिसका मुल्य निम्नलिखित से अधिक हो :

(i) श्रेणी (i)या श्रेणी (ii) के किसी, पद के कर्मचारी के मामले में 75- रूपये, और

(ii) श्रेणी (iii) और श्रेणी (iv) किसी, पद के कर्मचारी के मामले में 25- रूपये ।

### 14. बोर्ड के कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाना

कोई भी कर्मचारी, अध्यक्ष की पुर्व मंजूरी के बिना कोई भी मानार्थ या विदाई पानपत्र प्रप्त नहीं करेगा या कोई प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं करेगा या अपने सम्मान में या अन्य किसी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी बैठक या आतिथ्य-सत्कार में भाग नहीं लेगा । लेकिन इस उप-नियम की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागु नहीं होगी :-

(i) किसी कर्मचारी या अन्य किसी कर्मचारी के सम्मान में उसकी सेवा निवृत्ति या स्थानान्तरण के अवसर पर या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में, जिसने हाल ही में बोर्ड की सेवा छोड़ी हो, वास्तविक रूप से गैरसरकारी या अनौपचारिक प्रकार का विदाई प्रायोजन, अथवा

(ii) सार्वजनिक निकायों या संस्थाओं द्वारा आयोजित सादे और सस्ते आयोजन में भाग लेने की स्वीकृति ।

## टिप्पणी

बोर्ड के कर्मचारीयों को किसी विदाई आयोजन के लिए अंशदान करने को राजी करने केलिए किसी प्रकार के दबाव का प्रभाव का प्रयोग करना वर्जित है। चाहे यदि विदाई आयोजन वास्तविक रूप से गैरसरकारी या अनौपचारिक प्रकार का हो क्यों न हो। ऐसे किसी कर्मचारी के स्वागत सरकार के लिए जो श्रेणी (iii) या श्रेणी (iv) से संम्बन्धित न हो किसी भी परीस्थिति में श्रेणी (iii) या श्रेणी (iv) के कर्मचारी से अंशदान लेना भी वर्जित है।

## 15. निजी व्यापार या रोजगार

1. कोई भी कर्मचारी, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार या कारोबार नहीं करेगा या कोई अन्य रोजगार शुरू नहीं करेगा। लेकिन कोई कर्मचारी बोर्ड की मंजूरी के बिना सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का या कभी - कभी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का अवैज्ञानिक कार्य कर सकता है किन्तु इसके लिए शर्त यह होगी कि ऐसा करने से उसके सरकारी कार्य का नुकसान न हो। लेकिन यदि बोर्ड उसे ऐसा कार्य न करने का निदेश दे तो वह उसे शुरू नहीं करेगा या करना बन्द कर देगा।

### स्पष्टिकरण :

किसी कर्मचारी द्वारा ऐसी किसी बीमा ऐजनसी, कमीशन ऐजनसी आदी के करोबार के समर्थन में प्रचार करने को इस खंड का उल्लंघन माना जाएगा जो उसकी पत्नि और परिवार के किसी अन्य सदस्य के स्वामित्व में हो या वह उसका प्रबन्ध करती /करता हो।

2. प्रत्येक कर्मचारी, यदि उसके परिवार का कोई व्यापार या करोबार कर रहा हो या उसके स्वामित्व अथवा प्रबन्ध में कोई बीमा ऐजनसी या कमीशन ऐजनसी हो, तो बोर्ड को इसके संबन्ध में सूचित करेगा।

3. कोई भी कर्मचारी, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना अपने सरकारी कर्तव्यों का निष्पदान करने की स्थिति के सिवाया अन्य किसी स्थिति में किसी भी ऐसे बैंग या अन्य किसी कंपनी के पंजीकरण, संवर्धन या प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा जिसे कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 3) या तत्समय लागू अन्य किसी विधी के अधीन पंजीकृत किया जाना आपेक्षीत हो। वह वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी सरकारी सोसाईटी आदी के पंजीकरण संवर्धन या प्रबन्ध में भी भाग नहीं लेगा।

लेकिन कोई भी कर्मचारी सरकारी सोसाईटी अधिनियम या तत्समय लागू अन्य किसी वीधी के अधीन पंजीकृत ऐसा सरकारी सोसाईटीयों के पंजीकरण, संवर्धन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है जो वास्तविक रूप से कर्मचारीयों के लाभ से लिए हो। वह सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधीनियम, 1860 (1860 का 21) या कोसी लागू तदनुल्लप

विधी के अधीन पंजीकृत साहीत्यक, वैज्ञानीक या धर्मार्थ सोसाईटी के पंजीकरण संवर्धन यी प्रवन्ध में भी भाग ले सकता है ।

4. कोई भी कर्मचारी विहित प्राधीकारी की मंजूरी के बिना किसी ऐसे कार्य के लिए के फौस नहीं ले सकता जो उसने किसी सार्वजनिक निकाय या गैरसरकारी व्यक्ति के लिए किया हो ।

## 16. निवेश, उधार देना और लेना

1. कोई भी कर्मचारी किसी स्टोक शेयर में या अन्य निवेश के संबन्ध में सद्या नहीं लगाएगा ।

### स्पष्टिकरण

शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों के संबन्ध में अवसर किए जाने वाले क्रय या विक्रय को इस खण्ड के अर्थ के अन्तर्गत सद्येबाजी समझा जाएगा ।

2. कोई भी कर्मचारी ऐसा कोई निवेश नहीं करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य को या स्वयं उसकी और से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को ऐसा कोई निवेश करने कि अनुमति नहीं देगा जिससे उसके लिए सरकारी कर्तव्य का निष्पादन करने में बाधा उत्पन्न हो सकती हो या प्रभाव पड़ सकता हो ।

3. यदि इस सन्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है की कोई लेनदेन खंड (1) या खंड (2) में अल्लिखित प्रकार का है या नहीं, तो उस पर बोर्ड द्वारा दिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा ।

4. (1) कोई भी कर्मचारी बैंक या किसी प्रतिष्ठित फर्म के साथ कारोबार के सामान्य क्रम के छोड़कर, जिसे बैंकिंग कारोबार का संचालन करने के लिए विधीवत प्राधिकृत किया या हो, स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य से माध्यम से या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम से ।

(क) अपने प्राधीकार की स्थानीय सीमा के भीतर किसी व्यक्ति को या उस व्यक्ति को जिसके साथ उसका सरकारी लेनदेन होने की संभावना हो मुख्यव्यक्ति या ऐजेन्ट के रूप में पैसा उधार नहीं देगा या उससे उधार नहीं लेगा, या अन्यथा ऐसे व्यक्ति का आर्थिक रूप से आभारी नहीं बनेगा, या ।

(ख) किसी व्यक्ति को ब्याज पर ऐसे तरीके से पैसा नहीं उधार नहीं देगा जिससे उसकी बापसी धन के रूप में या वस्तु के रूप में ली जाती हो या की जाती हो ।

लेकिन कोई भी कर्मचारी अपने किसी या सम्पन्नी या व्यक्तिगत मित्र को थोड़ी राशि बीना ब्याज के पूर्णतः अस्थायी ऋण के रूप में दे सकता है या उससे ले सकता है । या वास्तवीक व्यापार में जमा खाता चला सकता है या निजी कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे सकता है ।

लेकिन इस उप - खंड में उल्लिखित कोई भी बात कर्मचारी द्वारा बोर्ड का पूर्व अनुमति लेकर किए गए किसी लेनदेन के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी ।

2. जब किसी कर्मचारी तो ऐसे प्रकार के पद पर नियुक्त या स्तानान्तरित किया जाए जिससे उसके द्वारा खंड (2) अथवा खंड (4) के उसी उपबन्ध का उल्लंघन हो सकता हो, तो वह तत्काल इन परिस्थितियों के सम्बन्ध में विहित प्राधीकारि को सूचित करेगा और उसके बाद ऐसा प्राधिकारी जैसा आदेश करेगा वह उसी के अनुसार कार्य करेगा ।

## 17. दिवालियापन और आदतन क्रण लेना

सभी कर्मचारी निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबन्ध करेंगे कि उन्हें प्रायः क्रण न लेना पड़े या वे दिवालियापन से बच सकें । जिस कर्मचारी के विरुद्ध उससे लिए जाने वाले किसी क्रण की वसूली के लिए या यह न्यायान्वित करने के लिए कि वह दिवालिया हो गया है कोई बोधीक कार्यवाही शुरू की गई हो, वह बोर्ड को विधिक कार्यवाही के सम्बूर्ण तथ्य तत्काल सूचित करेगा ।

## टिप्पणि

इस बात को सिद्ध करने की जिभ्मोदारी कर्मचारी की होगी की उसका दीवालीयापन या क्रणप्रस्तता ऐसी परीस्तीतीयों का परीणाम था जीनका मामूली तत्परता से कर्मचारी द्वारा पूर्णनुमान नहीं लगाया जा सकता था, या जो उसके नियन्त्रण से बाहर की और यह उसकी अवश्यक करने या दुर्व्याप्रसादी आदतों का परीणाम नहीं था ।

## 18. चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति

1. प्रत्येक कर्मचारी बोर्ड के अधीन किसी पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति होने पर और उसके बाद ऐसे अन्तरालों पर जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्म में निम्नलिखित के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण देते हुए अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की विवरणी प्रस्तुत करेगा :

- (क) उसके द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त की गई अचल सम्पत्ति, या उसके स्वंय के नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उसके द्वारा स्वामित्व में यी गई या बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति ,
- (ख) शेयर क्रणपत्र और नकदी जिस में उसे उत्तराधिकार में मिली या उसके द्वारा इसी प्रकार के स्वामित्व में ली गई अर्जित की गई या धारित बैंक में जमा राशी भी शामिल है ।
- (ग) उसे उत्तराधिकार में मिली या उसके द्वारा इसी प्रकार स्वामित्व में ली गई अर्जित की गई या धारित अन्य चल सम्पत्ति ।
- (घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपगत क्रण और अन्य देयताएं ।

## टिप्पणी : 1

खंड (i) सामान्य रूप से श्रेणि (iv) के कर्मचारी पर लागू नहीं होगा लेकिन बोर्ड यह निर्देश दे सकता है की यह ऐसे किसी भी कर्मचारी पर या ऐसे कर्मचारीयों की किसी भी श्रेणी पर लागू होगा।

(ii) सभी विवरणीयों में चल सम्पत्ति की उप मर्दों के मूल्य को जिनकी कीमत 1000/- रूपये से कम हो जोड़ कर एकमुश्त राशित के रूप में दिखाया जाएगा। ऐसी विवरणीयों में कपड़ों, बर्तनों, क्रोकरी, किताबों आदि जैसी दैनीक प्रयोग की वस्तुओं का मूल्य शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) प्रत्येक कर्मचारी जो इन उप-नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को सेवा में होगा, नियमों के प्रारम्भण होने के बाद बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले इस खण्ड के अधीन विवरणी प्रस्तुत करेगा।

2. कोई भी, कर्मचारी विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना अपने स्वयं के नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई चल सम्पत्ति पट्टे पर, बंधक, क्रय, विक्रय, उपहार, के रूप में या अन्यथा प्राप्त नहीं करेगा या नहीं बचेगा। लेकिन यदि ऐसा कोई लेनदेन निम्नलिखित के साथ किया जाएगा तो कर्मचारी द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी ली जेगी :

(i) ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ कर्मचारी का सरकारी लेनदेन हो या  
(ii) नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के माध्यम से अन्यथा

3. प्रत्येक कर्मचारी अपने लाभ से या अपना परिवार के किसी सदस्य के नाम से चल सम्पत्ति के सन्धार्थ में उसके द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन की सूचना का विहित प्राधिकारी को देखा यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य श्रेणी (i) या श्रेणी (ii) के किसी पद के कर्मचारी के मामले में 1000- रु, या श्रेणी (iii) या श्रेणी (iv) के किसी पद के कर्मचारी के मामले में 500- रु, से अधिक हो।

लेकिन यदि ऐसा कोई लेनदेन निम्नलिखित के साथ हो तो विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी ली जाएगी :

(i) ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ कर्मचारी का सरकारी लेनदेन हो या  
(ii) नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के माध्यम से या अन्यथा।

4. बोर्ड या विहित प्राधिकारी, किसी भी समय सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा कर्मचारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा धारीत या आर्जित ऐसी चल या अचल सम्पत्ति का ठीक-ठीक और सम्पूर्ण विवरण, जो की आदेश में निर्दिष्ट की जाए, देने के लिए सकता है। यदि बोर्ड या विहित, प्राधिकारी करेगा तो ऐसे विवरण में उन साधनों या ग्रतों का भी ब्यौरा दिया जाएगा जिनसे ऐसी सम्पत्ति आर्जित की गई थी।

5. बोर्ड श्रेणी (iii) या श्रेणी (iv) के कर्मचारियों के किसी वर्ग को, खण्ड (४) के सिवाय, इस उप-नियम के किसी भी उपबन्ध के सम्बन्ध में छूट दे सकता है। लेकिन ऐसी कोई छूट केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना नहीं दी जाएगी।

### स्पष्टिकरण

इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए 'चल सम्मति' में निम्नलिखित वस्तुवें शामिल होंगी :

- (क) जेवर, बीमा पॉलिसियां जिनका वार्षिक प्रीमियम 1000- रुपये से अधिक या बोर्ड से प्राप्त कुल वार्षिक परिलब्धियों के छठे भाग से अधिक हो इनमें से जो भी कम हो, शेयर, प्रतिभुतियां और ऋण-पत्र।
- (ख) ऐसे कर्मचारीयों द्वारा दिए गए ऋण चाहे वे रक्षित हों या नहीं।
- (छ) मोटर केरों, मोटर साईकिलों, घोड़े या सवारी के अन्य साधन और
- (घ) रेफ्रिजरेटर, रेडियो ऐर रेडियोग्राम

### 19. कर्मचारीयों के कार्य और चरित्र को न्यायसंगत ठहराना

कोई भी कर्मचारी अध्यक्ष की पूर्व सहमती के बिना ऐसे किसी सरकारि कार्य को, जो प्रतिकूल आलोचना का विषय रहा हो या जिसके कारण बदनामी हुई हो न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए किसी न्यायालय या समाचार पत्र का सहारा नहीं लेगा।

2. इस उप-नियमों में उल्लिखित किसी भी ज्ञात से किसी कर्मचारी को उसके निजी चरित्र को या उसी निजी हैसियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए वर्जित नहिं किया गया नहीं समझा जाएगा और यदी उसके निजी चरित्र को या उसकी निजी हैसियत में उसके द्वारा किया गए किसी कार्य को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए कोई केर्यवाई की गई हैं तो कर्मचारी ऐसे कार्यवाई के सम्बन्ध में विहित प्रधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

### 20. गौर सरकारी या अन्य किसी प्रभाव का प्रयोग करना

कोई भी कर्मचारी बोर्ड के अधीन उसकी सेवा से संबन्धित मामलों के सम्बन्ध में अपने हितों के संवर्धन के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी पर प्रभाव डालने के लिए किसी राजनीतिक या अन्य किसी प्रभाव का प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करेगा।

### 21. द्विविवाह

- 1. कोई भी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित हो, बोर्ड का पहले अनुमति लिए बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा चाहे ऐसा विवाह तत्समय उस पर लागी स्वीय विधि के अधीन अनिमत क्यों न हो।
- 2. कोई भी कर्मचारी बोर्ड की पहले अनुमति लिए बिना ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा जिसकी पत्नी या पति जीवित हो।

## 22. नशीले पेयों या औषधियों का सेवन करना

(क) कभी कर्वाचारी नशीले पेयों या औषधियों के सेवन के सम्बन्ध में किसी भी क्षेत्र में, जिसमें वे उस समय हो, जो भी विधि लागू होगी, उसका पालन करेंगे।

(ख) इस बात की समुचित सावधानी बरतेंगे कि उनके कर्तव्य निष्पादन पर किसी भी प्रकार से उनके द्वारा नशीले पेयों या औषधियों का सेवन किए जाने से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ग) नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाएंगी।

(घ) किसी नशीले पेय या औषधि का अधिक मात्रा में आदतन प्रयोग नहीं करेंगे।

## 23. निर्वचन

यदि इन उपनियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है तो उसे बोर्ड को भेज दिया जाएगा जो उसके सम्बन्ध में निर्णय करेगा।

## 24. शक्तियों का प्रत्यायोजन

बोर्ड, सामान्य या विशेष द्वारा यह निदेश दे सकता है कि इन उप-नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जानी वाली किसी भी शक्ति का (इस उप-नियम के अधीन शक्तियों को छोड़ कर) ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हों, आदेश में विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है।

# Coir Board Employees (Conduct) Bye Laws, 1968

S. O. 1781 - The following bye-laws made by the Coir Board in exercise of the powers conferred by Section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), and confirmed by the Central Government, are hereby published, as required by Sub-Section (2) of the said section, namely:-

## 1. Short title, Commencement and application:

- (1) These bye-laws may be called the Coir Board Employees (Conduct) bye-laws, 1968.
- (2) They shall come into force at once.
- (3) They shall apply to every person appointed by the Board under Sub-Section (2) of Section 9 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) and also to employees lent by the Central Government or a State Government.

Provided that the Board may with the concurrence of the Government of India, exempt from the operation of any of these rules, any category or categories of employees belonging to Group C or Group D.

## 2. Definitions : In these bye-laws, unless the context otherwise requires-

- (a) "Act" means the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953)
- (b) "Board" means the Coir Board established under Section 4 of the Act;

---

S. O. No. 3660 dttd. 12. 7. 1985 "for the expression 'Class I Class II Class III and Class IV', wherever it appears, the expression 'Group A, Group B, Group C and Group D' shall be substituted.

- (c) "Employees" means any person appointed by the Board under Sub-Section (2) of Section 9 of the Act including an employee on deputation from the Central or a State Government.
- (d) "Members of the family" in relation to any employees includes—
  - (i) the wife or husband as the case may be, of the employee, whether residing with the employee or not but does not include a wife or husband as the case may be, separated from the employee under the legal procedure or order of a competent court;
  - (ii) son or daughter or step-son or step-daughter of the employee and wholly dependent on him, but does not include a child or a step-child who is no longer in any way dependent on the employee or of whose custody the employee has been deprived by or under any law;
  - (iii) any other person related, whether by blood or marriage to the employee or to the employee's wife or husband and wholly dependent on the employee.
- (e) "Chairman" means Chairman of the Board;
- (f) "The Government" means the Central Government;
- (g) "Prescribed authority" means—
  - (a) (i) the Board, in the case of an employee holding any Group A post, except where any lower authority is specifically specified by the Board for any purpose;
  - (ii) The Chairman, in the case of an employee holding any Group B and Group C posts;

(iii) The Secretary in the case of an employee holding any Group D post.

(b) In respect of an employee on foreign service or on deputation to any other office or any other Government, the Chairman.

¤ "Explanation" :- Group A, Group B, Group C and Group D posts shall mean those posts having the following description:-

Sl. No.	Description of posts	Classification of posts
1.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 4,000/-	Group A
2.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 2,900/- but less than Rs. 4,000/-	Group B
3.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over Rs. 1,150/- but less than Rs. 2,900/-	Group C
4.	A post carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is Rs. 1,150/- or less.	Group D

(h) "Secretary" means the Secretary of the Board.

#### **General**

(1) Every employee shall at all times

¤ Amended vide S.O. 527 (E) dated 5th July, 1989.

- (i) maintain absolute integrity;
- (ii) maintain devotion to duty; and
- (iii) do nothing which is unbecoming of an employee.

2 (i) Every employee holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all employees for the time being under his control and authority;

(ii) no employee shall, in the performance of his official duties, or in the exercise of powers conferred on him, act otherwise than in his best judgement except when he is acting under the direction of his official superior;

(iii) the direction of the official superior shall ordinarily be in writing, oral direction to subordinate shall be avoided as far as possible. Where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter;

(iv) an employee who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible, whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing.

**Explanation:** Nothing in sub-clause (ii) of clause (2) shall be construed as empowering an employee to evade his responsibilities by seeking instructions from, or approval of a superior officer or authority when such instructions are not necessary under the scheme of distribution of powers and responsibilities".

#### **4. Employment of near relatives of Employees in private company or firm enjoying Board's patronage.**

1. No employee shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any private company or firm.

2. (i) No Group A officer shall, except with the previous sanction of the Board permit his son, daughter or other dependent to accept employment in any private company or firm with which he has official dealings or in any other company or firm having official dealings with the Board.

Provided that where the acceptance of the employment cannot await prior permission of the Board or is otherwise considered urgent, the matter shall be represented to the Board; and the employment may be accepted provisionally subject to the permission of the Board.

(ii) An employee shall, as soon as he becomes aware of the acceptance by a member of his family of an employment in any private company or firm intimate such acceptance to the prescribed authority and shall also intimate whether he has or has had any official dealings with that company or firm.

Provided that no such intimation shall be necessary in the case of a Group B officer if he has already obtained the sanction of, or sent a report to the Board under clause (i).

3. No employee shall in the discharge of his official duties deal with any matter or give or any sanction any contract to any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that company or firm or under that person or if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner and the employee shall refer every such matter or contract to his official superior and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made.

## 6. Taking part in politics and elections

1. No employee shall be a member of, or be otherwise associate with any political party or any organisation

which takes part in politics nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner any political movement or activity.

2. It shall be the duty of every employee to endeavour to prevent any member of his family from taking part in, subscribing in aid of or assisting in any other manner any movement or activity which is, or tends directly or indirectly, to be, subversive of the government as bye-law established and where an employee is unable to prevent a member of his family from taking part in, or subscribing in aid or of assisting in any other manner, any such movement or activity, he shall make a report to that effect to the Board.
3. If any, question arises whether the party is a political party or whether any organisation takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of clause (2) the decision of the Board thereon shall be final.
4. No employee shall canvass or otherwise interfere with or use his influence in connection with or take part in, an election to any legislature or local authority;
5. Provided that: (i) an employee qualified to vote at such election may exercise his right to vote but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;
- (ii) an employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this clause by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

**Explanation:** The display by an employee on his person, vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this clause.

**6. Joining of Associations by Board's employees:**

No employee shall join, or continue to be a member of, an association the objects or activities of which are prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India or public order or morality.

**7. Demonstrations and strikes:**

No employee shall

- (i) engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the State friendly relations with foreign states, public order decency or morality or which involves contempt of court defamation or incitement to any offence, or
- (ii) resort to or in anyway abet any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other employee.

**8. Connection with press or radio**

- 1. No employee shall, except with the previous sanction of the Chairman, own, wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of, any newspaper, or other periodical publication.
- 2. No employee shall, except with the previous sanction of the Chairman or of the prescribed authority or except in the bonafide discharge of his duties,
  - (a) publish a book, himself or through a publisher or contribute an article to a book or a compilation of articles, or
  - (b) participate in a radio broadcast or contribute an article or write a letter to a newspaper or periodical, either in his own name or anonymously or pseudonymously or in the name of any other person.

Provided that no such sanction shall be required-

- (i) if such publication is through a publisher and is of a purely literary, artistic or scientific character, or
- (ii) if such contribution, broadcast or writing is of a purely literary, artistic or scientific character.

#### **9. Criticism of the Board of Government**

No employee shall, in any radio broadcast or in any document published in his own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any other person or in any communication to the press or in any public utterance, make any statement of fact to opinion-

- i) which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the Board, the Central Government; or a State Government;
- ii) which is capable of embarrassing the relations between the Board, the Central Government and the Govt. of any State;
- iii) which is capable of embarrassing the relations between the Board, the Central Government of any foreign State.

Provided that nothing in this bye-law shall apply to any statements or views expressed by an employee in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.

#### **10. Evidence before committee or any other authority**

- 1) Save as provided in clause (3) no Board's employee shall, except with the previous sanction of the Chairman, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.
- 2) Where any sanction has been accorded under clause (1) no employee giving such evidence shall criticise the

policy or any action of the Board, the Central Government or of a State Government.

3) Nothing in this bye-law shall apply to:

- a) evidence given at any enquiry before an authority appointed by the Board, the Central Government, Parliament or a State Legislature; or
- b) evidence given in any judicial enquiry; or
- c) evidence given at any departmental enquiry ordered by authorities sub-ordinate to the Board, or the Central Government.

#### **11. Unauthorised communication of information**

No employee shall, except in accordance with any general or special order of the Board or the Govt, or in the performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly any official document or any part thereof or information to any other employee or to any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information,

Explanation: Quotation by an employee (in his representation to the Chairman or to the Central Government) of or from any letter, circular or office memorandum or from the notes on any file, to which he is not authorised to have access, or which he is not authorised to keep in his personal custody or for personal purposes, shall amount to unauthorised communication of information within the meaning of this bye-law".

#### **12. Subscription**

No employee shall, except with the previous sanction of the Chairman or of the prescribed authority, ask for or accept contributions to, or otherwise associate himself with the raising of, any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever.

### 13. Gifts

1) Save as otherwise provided in these bye-laws, no employee shall accept or permit any member of his family or any person acting on his behalf to accept, any gift.

**Explanation:** The expression "Gift" shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealing with the employee.

**Note:** (i) A casual meal, lift or other social hospitality shall not be deemed to be a gift.

(ii) An employee shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any individual having official dealings with him or from industrial or commercial firms, organisations etc.

2) On occasions, such as weddings, anniversaries, funerals, or religious functions, when the making of gift is in conformity with the prevailing religious or social practice, an employee may accept gifts from his near relatives but he shall make a report to the Board if the value of any such gift exceeds:

i) Rs. 500/- in the case of an employee holding any Group A or Group B post.

ii) Rs. 250/- in the case of an employee holding any Group C and

iii) Rs. 100/- in the case of an employee holding any Group D post.

3) On such occasions as are specified in clause (2) an employee may accept gifts from his personal friends having no official dealings with him, but he shall make a report to the Board if the value of any such gift exceeds:

i) Rs. 200/- in the case of an employee holding any Group A or Group B post;

- ii) Rs. 100/-in the case of an employee holding any Group C post, and
- iii) Rs. 50/- in the case of an employee holding any Group D post.

4) In any other case, an employee shall not accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift without the sanction of the Chairman if the value thereof exceeds:

- i) Rs.75/-in the case of an employee holding any Group A or Group B post, and
- ii) Rs. 25/- in the case of an employee holding any Group C and Group D post.

**•13A Dowry**

No employee shall-

- i) give or take or abet the giving or taking of dowry;
- ii) demand directly or indirectly from the parents or guardian of a bride or bride groom as the case may be, any dowry.

**Explanation 1:** In this bye-law, the expression "dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly-

(a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or

(b) by the parent of either party to a marriage or by any other person, to either party to the marriage or to any other person;

at or before or after the marriage as consideration for the marriage of the said parties, but does not include dowry or mahr the case of persons to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applies.

**Explanation 2:** For the removal of doubts, it is hereby declared that any presents made at the time of a marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles, shall not be deemed to be dowry within the meaning of this bye-law, unless they are made as consideration for the marriage of the said parties.

•Amended vide S.O.No. 3491 dt. 1.9.76 Gazette notification No. Part II Section 3 Sub-Section (ii)

**Explanation 3:** The expression "Valuable security" has the same meaning as in Section 30 of the Indian Penal Code (450 of 1860)

#### **14. Public demonstrations in honour of Board's employees**

No employee shall, except with the previous sanction of the Chairman, receive any complimentary or validictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour, or in the honour of any other employees.

Provided that nothing in this bye-law shall apply to-

- i) a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of an employee or any other employee on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quit the service of the Board; or
- ii) the acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by public bodies or institutions.

**Note :** Exercise of pressure or influence of any sort on any Board's employees to induce him to subscribe towards any farewell entertainment even if it is of a substantially private or informal character, and the collection of subscription from Group C or Group D employee under any circumstances for the entertainment of any employee not belonging to Group C or Group D is forbidden.

## 15. Private trade or employment

1) No employee shall, except with the previous sanction of the Board, engage directly or indirectly in any trade or business or negotiate for or undertake any other employment

"Provided that an employee may, without such sanction-

- (i) undertake honorary work of a social or charitable nature, or
- (ii) undertake occasional work of a literary, artistic or scientific character, or
- (iii) participate in sports activities as amateur; subject to the condition that in all the cases, his official duties do not thereby suffer. He shall not undertake or shall discontinue, such work or activity, if so directed by the Chairman".

Explanation: Canvassing by an employee in support of the business of insurance agency, commission agency etc. owned or managed by his wife or any other member of his family shall be deemed to be a breach of this clause.

2) Every employee shall report to the Board if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.

3) No employee shall, without the previous sanction of the Board, except in the discharge of his official duties; take part in the registration, promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force or any co-operative society for commercial purpose.

"Provided that an employee may take part in the registration, promotion or management of-

- (i) a literary, scientific, or charitable society or of a company, club or similar organisation the aims, and objects of which relate to promotion of sports, cultural or recreational activities, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or the Companies Act 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force; or
- (ii) a cooperative society substantially for the benefit, of the employees registered under the Cooperative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being in force"; and

4) Unless otherwise provided by general or special orders of the Chairman, no employee may accept any fee for any work done by him for any private or public body or any private person without the sanction of the prescribed authority.

Explanation : The term "fee" used here shall have the meaning assigned to it in Fundamental Rule 9 (6-A)".

#### **16. Investment, Lending and Borrowing**

1) No employee shall speculate in any stock share or other investment.

Explanation : Frequent purchase or sale or both of shares, Securities or other investments shall be deemed to be speculation within the meaning of this clause.

2) No employee shall make, or permit any member of his family or any person acting on his behalf to make, any investment which is likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties.

3) If any question arises whether any transaction is of the nature referred to in clause (1) or clause (2) the decision of the Board thereon shall be final.

4) (i) No employee shall, save in the ordinary course of business with a bank or a public limited company either himself or through any member of his family or any other person acting on his behalf;

a) lend or borrow or deposit money, as a principal or an agent, to, or from, or with, any person or firm or private limited company within the local limits of his authority or with whom he is likely to have official dealings or otherwise place himself under any pecuniary obligation to such person or firm or private limited company; or".

b) lend money to any person at interest or in a manner whereby return in money or in kind is charged or paid.

Provided that an employee may, give to, or accept from a relative or a personal friend, a purely temporary loan of a small amount free of interest, or operate a credit account with a bonafide trade or make an advance of a pay to his private employee.

Provided further that nothing in this sub-clause shall apply in respect of any transaction entered into by an employee with the previous sanction of the Board.

(ii) when an employee is appointed or transferred to a post of such nature as would involves him in the breach of any of the provisions of clause (2) or clause (4) he shall forthwith report the circumstances to the prescribed authority and shall thereafter act in accordance with such order as may be made by such authority.

#### **17. Insolvency and habitual indebtedness**

An employee shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. An employee against

whom any legal proceeding is instituted for recovery of any debt due from his or for adjudging him as an insolvent shall forthwith report the full facts of the legal proceedings to the Board.

**Note :** The burden of proving that the insolvency or indebtedness was the result of circumstances which with the exercise of ordinary diligence the employee could not have foreseen, or over which he had no control and had not proceeded from extravagant or dissipated habits, shall be upon the employee.

#### **18. Movable, Immovable and valuable property**

- 1) (i) Every employee shall on his first appointment to any post submit a return of his assets and liabilities, in such form as may be prescribed by the Board, giving the full particulars regarding:
  - (a) the immovable property inherited by him, or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;
  - (b) shares, debentures and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned, acquired, or held by him;
  - (c) other movable property inherited by him or similarly owned acquired or held by him;
  - (d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly.

**Note:**

1. Clause (i) shall not ordinarily apply to employees belonging to Group D but the Board may direct that it shall apply to any such employee or class of such employees.
2. In all returns, the value of items of movable property worth less than Rs. 2000/- may be added

and shown as a lumpsum. The value of articles of daily use such as clothes, utensils, crockery, books, etc. need not be included in such return.

3. Every employee who is in service on the date of commencement of these bye-laws shall submit a return under this clause on or before such date as may be specified by the Board after such commencement.

"(ii) Every employee holding any post included in Group A or Group B shall submit an annual return in such form as may be prescribed by the Board in this regard giving full particulars regarding the immovable property inherited by him or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;"

2) No employee shall except with the previous knowledge of the prescribed authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the employee if any such sanction is:

- i) with a person having official dealings with the employees; or
- ii) otherwise than through a regular or reputed dealer.

"3) Where an employee enters into a transaction in respect of movable property either in his own name or in the name of a member of his family, he shall, within one month from the date of such transaction report the same to the prescribed authority, if the value of such property exceeds Rs. 2000/- in the case of an employee holding any Group A or Group B post or Rs 1000/- in the case of an employee holding any Group C or Group D post.

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained if any such transaction is:

- i) with a person having official dealings with the employee.  
or
- ii) otherwise than through a regular or reported dealer.

4) The Board or the prescribed authority may, at any time, by general or special order, require an employee to furnish, within a period specified in the order, a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall if so required by the Board or the prescribed authority, include the details of the means by which, or the source from which, such property was acquired.

5) The Board may exempt any category of employees belonging to Group C or Group D from any of the provisions of this bye-laws except clause (4). No such exemption shall however, be made without the concurrence of the Central Government.

Explanation I: For the purpose of this bye law the expression 'movable' property includes:

- a) Jewellery, insurance policies the annual premia of which exceed Rs. 2000/- or one sixth of the total annual emoluments received from the Board whichever is less, shares, securities and debentures;
- b) loans advanced by such employee whether secured or not
- c) motor cars, motor cycles, horses, or any other means of conveyance and
- d) refrigerators, radios, television sets and radiograms.

II: for the purpose of this bye law 'lease' means, except where it is obtained from, or granted to, a person having official dealings with the employee, a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent".

**"18A - Restrictions in relation to acquisition and disposal of immovable property outside India and transactions with Foreigners etc.**

Notwithstanding anything contained in clause (2) of bye-law 18, no employee shall, except with the previous sanction of the prescribed authority,-

- (a) acquire, purchase, mortgage, lease, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family, any immovable property situated outside India;
- (b) dispose of, by sale, mortgage, gift or otherwise, or grant any lease in respect of any immovable property situated outside India which was acquired or is held by him either in his own name or in the name of any member of his family;
- (c) enter into any transaction with any foreign government, foreign organisation or concern,-
  - (i) for the acquisition, by purchase, mortgage, lease, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family, or any immovable property;
  - (ii) for the disposal of, by sale, mortgage, gift or otherwise, or the grant of any lease in respect of any immovable property which was acquired or held by him either in his own name or in the name of any member of his family".

**19. Vindication of acts and character of employees:**

- 1) No employee shall, except with the previous sanction of the Chairman, have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character.
- 2) Nothing in this bye-law shall be deemed to prohibit an employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity and where any action got vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the employee shall submit a report to the prescribed authority regarding such action.

**20. Canvassing of non-official or other influences**

No employee shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Board.

**21. Restriction regarding Marriage**

- (1) No employee shall enter into, or contract, a marriage with a person having a spouse living; and
- (2) no employee having a spouse living, shall enter into, or contract, a marriage with any person:

Provided that the Chairman may permit an employee to enter into, or contract, any such marriage as is referred to in clause (1) or clause (2), if he is satisfied that-

- (a) such marriage is permissible under the personal law applicable to such employee and the other party to the marriage; and
- (b) there are other grounds for so doing.
- (3) An employee who has married or marries a person other than of Indian Nationality shall forthwith intimate the fact to the Board.

## 22. Consumption of intoxicating drinks and drugs

An employee shall:

- (a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being;
- "(b) not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug;"
- "(bb) refrain from consuming any intoxicating drink or drug in a public place;
- (c) not appear in a public place in a state of intoxication;
- "(d) not use any intoxicating drink or drug to excess".

Explanation: For the purpose of this Bye-law, 'Public place' means any place or premises (including a con-

### 22(A) Prohibition regarding employment of Children below 14 years of age

No employee shall employ any child below the age of 14 years.

## 23. Interpretation:

If any question arises relating to the interpretation of these bye-laws, it shall be referred to the Board who shall decide the same.

## 24 Delegation of powers

The Board may, by general or special order, direct that any power exercisable by it under these bye-laws (except the powers under this bye-law) shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercisable also by such officer or authority as may be specified in the order.

---

NOTE: The principal Bye laws were published vide No. S.O.1781 dated the 15th May, 1968, and subsequently amended by notification No.S.O. 3491, dated 1-9-1976 and S.O 3660 dated 12-7-1985.

\* Amended vide Gazette Notification No. S.O. 1059(e)  
dated 17-10-2003



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—हाइड 3—उप-संख्या (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)  
प्राप्तिकार के प्रतीक्षा  
PUBLISHED BY AUTHORITY

प्र. 407] नई दिल्ली, चून्हार, जूनार्ड 5, 1989/आषाढ़ (4, 1911)  
No. 407, NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 1989/ASADHA (4, 1911)

इस भाग में विशेष रूप संवाद या ज्ञानों के विवाह में विवाह अवधारणा की होती है जो इस भाग में  
रखा जा सके

Separate Pugby is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

इयोग संवालय

(श्रीयोगिक विकास विभाग)

संसद भवन

नई दिल्ली, 5 जूनार्ड, 1989

पा. वा. 527(क)।—हाइड इयोग संवित्तियम्, 1963 (1963 का 43) की  
राय 27 द्वारा पदस विभिन्नों का विवेत करने हुए ज्याद योर अर्पनार्दी (यान्त्रण)  
शिविधि, 1968 का और सम्बंधित कानून के द्वारा ज्याद योर द्वारा वनार्ड गई और केवल

संस्कार द्वारा प्राप्त निम्नलिखित उपविष्ट डीन धरार की उपशारा (2) की अधिकारीसूत्राद्य प्रकाशित की जाती है, वर्धम् ।—

1. (i) इस उपविष्ट का गंतिका नाम अपर वोर्ड कर्मचारी (शास्त्री) निम्नलिखित उपविष्ट, 1989 है।

(ii) यह ग्रजपत्र में शकांतिका दीन गार्गीष को उन्नग होती है।

2. उपविष्ट 2 में संठ (7) के आवंड (स) के बोने दिए गए राष्ट्रीकरण के अन्त पर निम्नलिखित "स्पष्टीकरण" द्वारा जारीत, वर्धम् ।—

"स्पष्टीकरण"— समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ पर्वों में वे यह अभियोग होती हैं कि जिनका वर्णन निम्नलिखित होता है—

क्रम सं. पदों का वर्णन पदों का वर्णितरण

1. कोई पद, जिसका अधिकार बेन्दू या बेन्दूनाम 40000/-पाए में अधिक नहीं है। समूह क

2. कोई पद, जिसका अधिकार बेन्दू या बेन्दूनाम 2,500/- लाए ने कम नहीं है, किन्तु 40000/-लाए में कम है। समूह ख

3. कोई पद, जिसका अधिकार बेन्दू या बेन्दूनाम 1,150 समूह ग लाए में अधिक है, किन्तु 2,500/-लाए में कम है।

4. कोई पद, जिसका अधिकार बेन्दू या बेन्दूनाम 1,150/-लाए या उससे कम है। समूह घ

[सं. 3 (1) | 65 क्यर]

जा. बैंकटर्सगार्ड, नद्युक्त गविन्द

अधिकृतना नं. का. या. 1281 तारीख 15-5-1968 का निम्नलिखित द्वारा गविन्दह किया गया है:—

(1) अधिकृतना नं. का. या. 3491, गार्गीष 1-3-1976

(2) अधिकृतना नं. का. या. 3680, तारीख 12-2-1976

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 1989

S.O. 527(E).—The following bye-laws further to amend the Coir Board Employees(Conduct) bye-laws, 1968 made by the Coir Board in exercise of the powers conferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) and confirmed by the Central Government, are hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, namely :—

- (i) These bye-laws may be called the Coir Board Employees (Conduct) Amendment bye-laws, 1989.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In bye-law 2, for the Explanation given under sub-clause (b) of clause (g), the following "Explanation" shall be substituted, namely :—  
"Explanation" :—Group A, Group B, Group C and Group D posts shall mean those posts having the following description :—

Sl. No.	Description of posts	Classification of posts
1.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 4,000/-	Group A
2.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 2,900/- but less than Rs. 4,000/-	Group B
3.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over Rs. 1,150/- but less than Rs. 2,900/-	Group C

4	THE GAZETTE OF INDIA · EXTRAORDINARY	[PART II—See 3rd S. 651]
Sl.	Description of post	Classification of posts
No.		

4. A post carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is Rs. 1,150/- or less.

—Group D

[No. 6(1)/85-Corr]

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

Notification No. S.O. 1781 dated 15-5-1968 has been amended vide the following:

- (1) Notification No. S.O. 3491 dated 1-9-1976.
- (2) Notification No. S.O. 3660 dated 12-7-1985.



# भारत का राजपत्र



## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

ભાગ II - ખણ્ડ 3 - ડપ-ખોર (B)

**PART II – Section 2 – Sub-section (ii)**

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

३२७

नारा शिल्पी, जाम्बुला, अद्यता 25, 2001/कार्यक्रम 3, 1223

No. 7771

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 1901/KARTIKA 3, 1823

कंपिए एवं गाधीए उखोग पंजालय

ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା

ન્યૂ ટોપાર્ક, 17 અસાના, ૨૦૦૧

को.आ. 1059( 34 ).—निम्नलिखित तप प्रियम कवर दाशोग अधिकारीयम, 1953 ( 1953 का 45 ) की धमा 27( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कवर जोड़े हुए बनाये गए कवर जोड़े कर्मचारों ( जापान ) द्वारा प्रियम, 1968 में और आगे संशोधन करते हुए उस प्रक्रिये सहित द्वारा प्रदृष्ट करके प्राप्तिकार प्रक्रिया करते हैं । —

1. (1) ये द्रष्टव्य नियम रूपमा लोकों फूफूचारी (आज्ञायिक) (संशोधन) डिजिटला 2001 कानूनाचे जा गावले नाही.

(3) ये साइबरी गणराज्य में उनके प्रबन्धन को गटीवा से खाल होती।

२. कम्पनी द्वारा कर्तव्यान्वय (वास्तविक) वर्तमानमें २०२६ में उपलब्ध अधिकार २२ और प्रशासन विभागित वर्तमानमें आधे जापानी नाम:

"22-Q. 14 अब से कम आयु के अधीनी का शेवगार के संबंध में निषेध, कोहे पी कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी यात्रे को काम पर नहीं रखेगा।"

[पा. सं. 6(३)/२०३१-क्यार.]

शैकर अमृताल, संपादक सचिव

**पात्र टिप्पणी:** — कपर बोर्ड के गठन के लिये अधिसूचना दिनांक 7 सितंबर, 1993 को का.आ. 284 (ई) प्राप्त रूप साद के संसोधन दिनांक 28 जनवरी, 1999 की सं. (1) का.आ. 38 (ई), (2) का.आ. 166 (ई) दिनांक 11 जानवरी, 1999, (3) का.आ. 410 (ई) दिनांक 26 अप्रैल, 2000 तथा (4) का.आ. 70 (ई) दिनांक 19 जनवरी, 2001 प्राप्त जारी की गई थी।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2001

S.O. 1659(E).—The following Bye-laws further to amend the Coir Board Employees (Conduct) Bye-laws, 1968, made by the Coir Board, in exercise of powers conferred by Section 27(2) of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) and confirmed by the Central Government are hereby published.

1. (1) These Bye-laws may be called the Coir Board Employees (Conduct) (Amendment) Bye-laws, 2001.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Coir Board Employees (Conduct) Bye-laws, 1968 after bye-law 22, the following bye-law shall be inserted, namely :—

"22-A. Prohibition regarding employment of Children below 14 years of age : No employee shall employ any child below the age of 14 years."

[F. No. 6(3)2001-Coir]

SHANKAR AGGARWAL, M. Secy.

**FOOT NOTE :—**The notification for constitution of the Coir Board was issued vide number S.O. 784 (E) dated the 7th September, 1998 and subsequently amended vide numbers (1) S.O. 38(E) dated the 28th January, 1999, (2) S.O. 166(E) dated the 11th March, 1999, (3) S.O. 410 (E) dated the 26th April, 2000 and (4) S.O. 70 (E) dated the 19th January, 2001.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330 ]

नई दिल्ली, बुहरम्मतिसार, अप्रैल 4, 2002/बैत्र 14, 1924

No. 330 ]

NEW DELHI THURSDAY, APRIL 4, 2002/CHAITRA 14, 1924

## कृषि एवं प्रामाण उद्योग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2002

का.आ. 384(अ).—कायर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953+45) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त तक्तियों का प्रसारण करते हुए, कायर बोर्ड द्वारा यन्त्रे नये नियन्त्रित कायर बोर्ड कर्मचारी (आवारण) वा विधि, 1968, उप विधियों में और अन्य संशोधन लाते हुए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरित करके उक्त अधिनियम को धारा 22 की अंतिम अनुसार एवं द्वारा प्रकाशित की जाती है, अर्थात्,—

1. (1) इन उत्तरियों का अधिकार गास बायर बोर्ड कर्मचारी (आवारण) संशोधन उप विधि, 2002 है।
2. (2) ये गायापत्र में प्रकाशन को दरीख को प्रमुख होती।
3. कायर बोर्ड कर्मचारी (आवारण) उप विधि 1968 में उप विधि 3, के पश्चात नियन्त्रित उप विधि शागम हैं, नामाः—  
“उक्त कायर बायर बोर्ड के बीच उत्पीड़न पर रोकः—(1) कायर बायर यह किसी पक्षिता के बीच उत्पीड़न क्रृत्य में बोर्ड कर्मचारी लिपा नहीं होगा।  
(2) बोर्ड भी कर्मचारी अथवा उत्पीड़न को प्रभारी है, ऐसे कार्य एवं यह किसी बहिता के बीच उत्पीड़न खो देकर वे लिये भव्यता कदम उठायेगा अथवा निवारण करेगा।

स्पष्टीकरण :—इस उप विधि के प्रयोगनार्थ “दीन शोषण” के द्वारा अशोभनीय यौन विद्युरिता व्यवहार चाहे प्राप्त हो अथवा अच्छा नहीं—

- (क) लारोरिक मंसर्ग तथा आगे बढ़ना,
- (ख) यौनाचार के बलि मांग या अनुरोध करना,
- (ग) यौनाचार सुकृति करना,
- (घ) अल्लौलता प्रदर्शित करना, या
- (ङ) यौन श्रवण के किसी अन्य अशोभनीय शारीरिक, गौंथिक अथवा और यौंगिक अचरण।।।।

(का. सं. 6(7)/2000-कवर)

राजकर अवशाल, बंयुक्त सचिव

पाठ दिएणा :—मुख्य उप विधि दिनांक 15 मई, 1968 के सं. का.आ. 1781 द्वारा प्रकाशित हुई भी तथा बाद में नियन्त्रित द्वारा संशोधन किये गये।—

- (1) दिनांक 1 मिहम्मद, 1976, का. आ. 3491
- (2) दिनांक 12 जुलाई, 1985, का. आ. 3660
- (3) दिनांक 5 जुलाई, 1994, का. आ. 527(ब)

## MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2002.

S.O. 384(E).—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), the following bye-laws made by the Coir Board further to amend the Coir Board Employees (Conduct) Bye-Laws, 1968, and confirmed by the Central Government, are hereby published, as required by sub-section (2) of section 27 of the said Act, namely—

1. (1) These Bye-Laws may be called the Coir Board Employees (Conduct) Amendment Bye-Laws, 2002.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Coir Board Employees (Conduct) Bye-Laws, 1968, after bye-law 3, the following bye-law shall be inserted, namely :—

**“3A. Prohibition of sexual harassment of working women :—**(1) No employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.  
 (2) Every employee or person who is incharge of a work place shall take appropriate steps to prevent or deter the sexual harassment to any woman at such work place.

**Explanation :—**For the purposes of this bye-law, “sexual harassment” includes such unwelcome sexually determined behaviour whether directly or otherwise as—

- (a) physical contact and advances;
- (b) a demand or request for sexual favour;
- (c) sexually coloured remarks;
- (d) showing pornography, or
- (e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.”

[F No. 6(7)j/2000-Coir]

SHANKAR AGGARWAL, Jr. Secy.

**Footnote :—**The principal bye-laws were published vide number S.O. 1781, dated the 15th May, 1968, and subsequently amended vide number—

- (1) S.O. 3491, dated 1st September, 1976
- (2) S.O. 3660, dated 12th July, 1983
- (3) S.O. 527(E), dated 5th July, 1989